सरकार द्वारा बी.पी.एल. (चयनितों) को रियायती दर पर मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति के साथ–साथ विविध प्रकार से लाभान्वित कर गरीबी की रेखा से उपर लाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्या वास्तव में गरीब लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं? और यदि हां तो उन्हें कितना लाभ मिल रहा है? और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और चयनितों के समक्ष क्या–क्या समस्याऐं आती हैं? अर्थात मूलरूप से बी.पी. एल. श्रेणी के व्यक्तियों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के संबंध में उक्त प्रश्नों को लेकर दौसा जिले में बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वे में निम्न तथ्य सामने आए।

1. चयनित कार्ड प्राप्ति

जैसा कि तालिका–1 में स्पष्ट है 96 प्रतिशत व्यक्तियों को कार्ड दिलवाने में सरपंच पंच, वार्डपंच, मुखिया, ग्राम सचिव आदि ने मदद की जबकि मात्र 1 प्रतिशत व्यक्तियों को अपने स्तर पर सर्वे के हिसाब से चयनित कार्ड प्राप्त हुआ। 2 प्रतिशत व्यक्तियों को कार्ड दिलवाने में रिश्तेदार ने सहायता की।

तालिका–1 : चयनित कार्ड प्राप्ति का माध्यम

चयनित का सहयोगी	व्यक्तियों की संख्या
पंच/सरपंच/वार्ड पंच/मुखिया/सचिव	96
अपने स्तर पर सर्वे के हिसाब से चयनित कार्ड प्राप्त हुआ	1
कोई उत्तर नहीं	1
रिश्तेदार ने सहायता की	2
कुल	**100**

यहां प्रश्न यह उठता है कि चयनित कार्ड प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायतों के पद ही क्यों प्रभावी रहे? क्या लोगों के बीच आमजन कल्याण के लिए संचालित कार्यक्रम के बारे में जागरूकता का इस हद तक अभाव है कि वे स्वयं अपने स्तर पर सीधे ही कार्ड प्राप्ति में असमर्थ हैं ? या फिर क्या वास्तव में सरपंच आदि अपने क्षेत्र में गरीबी मिटाने के लिए लोगों को बी.पी. एल. श्रेणी में शामिल होने में सहायता करते हैं? परंतु यहां एक दूसरा तथ्य भी उभर कर आता है कि कुछ गरीबों को ही बी.पी.एल. श्रेणी में शामिल किया जा रहा है। आखिर गांवों में और भी निर्धन हैं जिनको बी.पी. एल. श्रेणी में रखा जा सकता था परंतु आज भी वे इससे दूर हैं। हो सकता है कि इसमें कोई राजनीतिक दखल या मद्यस्थता जिम्मेदार हो। यदि ऐसा है तो फिर यह एक अलग अध्ययन का विषय है जिसकी तह में हमें अभी नहीं जाना है। इससे भी अधिक अचंभित कर देने वाली बात 20 प्रतिशत संभागियों द्वारा इस तथ्य का खुलासा करना रही कि गांव में कई परिवार निर्धन न होते हुए भी चयनित कर लिए गए! हमारे यह पूछने पर कि उनका विरोध पूरे गांव में किसी ने नहीं किया तो इसके क्या कारण हो सकते है? इस पर निम्न तथ्य जानने में आये–

- V पैसे वाले लोग बी.पी.एल. में है लेकिन हम उनका नाम बताने से डरते हैं।
- V उसका विरोध पूरे गांव में किसी ने नहीं किया क्योंकि वह सरपंच का आदमी था।
- V कोई जानकारी नहीं।

अर्थात उपरोक्त जवाब यह संकेत करते हैं कि निर्धन नहीं होते हुए भी चयनित होने वाले व्यक्ति संपन्न एवम प्रभावशाली वर्ग से थे इस वजह से सहभागी उनका नाम बताने की बात को टाल गए।

2. चयनितों को राशन सामग्री

बी.पी.एल. चयनितों को दी जाने वाली राशन सामग्री में भी बहुत सी अनियमितताऐं पाई गईं। उदाहरण के लिए तालिका–2 के अनुसार मात्र दो प्रतिशत व्यक्तियों को ही राशन की चीनी मिल रही थी।

तालिका–2

क्या आपको राशन से चीनी मिलती है?	व्यक्तियों की संख्या
हां	2
नहीं	96
कोई उत्तर नहीं	2
कुल	**100**

इन दो चीनी मिलने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को 13.50 रू प्रति किलोग्राम की दर से चीनी प्राप्त हुई।

व्यक्तियों ने राशन की सामग्री के सुचारू रूप से नहीं दी जाने की शिकायत भी की परंतु सब व्यर्थ रहा। राशन डीलर के बारे में निम्न बातें प्रकट हुईं।

- V जो सामग्री आती है उसको बजार में बेच देता है जैसे तेल और गेहूं आदि।
- V नही हमें राशन डीलर के बारे में बताते हुए डर लगता है।
- V कई साल से गेहूं नहीं मिले, चार महीने में एक बार करोसिन मिलता है, डीलर सामग्री बजार में बेच देता है।
- V इसके बारे में हमने कलेक्टर से भी शिकायत की लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई।

निम्न तालिका–3 भी उल्लेखनीय है। इससे हमें यह पता चलता है कि 13 प्रतिशत व्यक्तियों ने राशन

तालिका–3

राशन डीलर ने आपके क्षेत्र में कभी गरीबों का राशन बाजार में बेचा?	व्यक्तियों की संख्या
हां	13
नहीं	80
कोई उत्तर नहीं	7
कुल	**100**

यहाँ देखने से स्पष्ट हो जाता है कि राशन डीलर के बारे में लोगों में व्यापक असंतोष था। लोगों का मानना था कि डीलर सामग्री अपर्याप्त देकर या फिर नहीं देकर जेब भर रहा था। यही हाल अन्नपूर्णा योजना को लेकर था, अन्नपूर्णा योजना के बारे में पूछने पर लोगों ने बताया कि डीलर अपने लोगों को सामग्री देता है और इसमें उसको सरपंच और सचिव का भी सहयोग प्राप्त हो रहा था। जिसके कारण पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

3. पुत्रियों को विवाह पर राशि

सर्वे में उपस्थित 83 प्रतिशत व्यक्तियों को बी.पी.एल. परिवार की पुत्रियों को विवाह के अवसर पर दी जाने वाली 5000 रू की सहायता राशि के बारे में जानकारी नहीं थी। सहभागियों में से एक भी इसके अंतर्गत लाभान्वित नहीं हुआ।

4. गरीबों को बिजली

सर्वे में यह जानने में आया कि 51 प्रतिशत व्यक्तियों के घर में बिजली नहीं थी। इसी तरह आगे जानकारी मिली कि कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत मात्र 1 प्रतिशत व्यक्ति ही अवगत पाये गए। अर्थात 99 प्रतिशत व्यक्तियों को उनके कल्याण के लिए संचालित इस कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं थी।

सर्वे में उभर कर आऐ आंकड़ों के हिसाब से कह सकते हैं कि इन्दिरा आवास योजना के बारे लगभग 50 प्रतिशत व्यक्तियों को जानकारी थी और 3 प्रतिशत व्यक्तियों को अन्नपूर्णा योजना के बारे में जानकारी थी।

5. चयनितों को मिलने वाली सामग्री

लोगों ने बी.पी.एल. चयनितों को निम्न सामग्री दी जाने की बात कही।

तालिका–4

किस तरह का लाभ पिछले पांच सालों में आपने लिया है ?	व्यक्तियों की संख्या
पिछले पांच सालों में हमको गैहूँ, तेल के अलावा और कोई लाभ नहीं हुआ।	51
पांच साल में गैहूँ भी कभी–कभी मिलता है।	19
पांच साल के अन्दर हमको कोई भी लाभ नहीं मिला।	8
हमें मिलने वाले लाभ के बारे में कोई जानकारी नहीं है।	5
पांच साल में इन्दिरा आवास योजना के तहत एक मकान बनाया गया है साथ ही गैहूँ, तेल भी मिलता है।	1
इन्दिरा आवास योजना में आवेदन किया मगर पैसा नहीं मिला।	1
पांच साल से गैहूँ मिल रहे हैं और पांच बकरी मिली हैं।	1
कोई उत्तर नहीं।	14
कुल	**100**

सर्वे में ज्ञात हुआ कि बी.पी.एल चयनितों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में मोटे तौर पर व्यक्तियों को तेल, गेहूं, चावल तथा आवास के बारे में ही जानकारी थी। तालिका–4 के आधार पर यह समझ में आता है 51 प्रतिशत व्यक्तियों को पिछले पांच वर्षों में गैहू और तेल के अलावा कोई लाभ नहीं मिला था।

6.बी.पी.एल. चयनित व्यक्तियों की आवश्यकताऐं

बी.पी.एल.कार्डधारी व्यक्ति सरकार से जीवनयापन हेतु निम्न वस्तुओं का प्राप्त होना आवश्यक मानते हैं।

- V बिजली
- V पानी
- V दुधारू पशु
- V विधवा पेंशन
- V आवास
- V स्वयं के रोजगार हेतु पैसा
- V मजदूरी रोजगार
- V तेल (कैरोसिन)
- V चावल
- V तथा सरकारी प्रावधान के अनुसार जो भी दिया जाता है, सब कुछ मिलना चाहिए

7. निष्कर्ष

सहभागियों ने अपनी राय रखते हुए कहा कि बी.पी.एल. श्रेणी में उन्हें ही लेना चाहिए जो वास्तव में गरीब हैं। सारांश रूप हम यह कह सकते हैं कि सरकार को इस कार्यक्रम से संबंधित भरपूर प्रचार–प्रसार करते हुए आर्थिक आधार पर निर्धनतम व्यक्तियों को बी.पी.एल श्रेणी में लेना चाहिए। वास्तविकता में गरीबी मिटाने और आर्थिक स्तर को ऊपर लाने के लिए गरीबों की मांगों पर गंभीरता से सोचा जाना आवश्यक है तभी गरीबी उन्मूलन का सपना साकार हो

गरीबी हटाओ अभियान
कितने सफल-कितने असफल

Budget Analysis Rajasthan Centre (BARC)
बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
P-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur - 302 005
Tel. / Fax : (0141) 238-5254
E-mail : info@barcjaipur.org
Website : www.barcjaipur.org

Budget Links Policy to People and People to Policy